संख्या- **1**/2015/02/सत्रह-म-2014 6-9(40)/2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1- निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक- 12 जनवरी 2015

विषय - मछुआ आवास की इकाई लागत बढाकर लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास के समान किये जाने के सम्बंध में -

महोदय,

प्रदेश के विकास में मत्स्य पालन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अन्तस्थलीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है। मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने में मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अत विभाग द्वारा मछुआ समुदाय के कल्यार्थ केन्द्र एवं राज्य सरकार की समान भागीदारी से वित्त पोषित मछुआ आवास योजना संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए मछुआ आवास की लागत प्रति आवास रू0 45,000/- से बढाकर रू0 75,000/- निर्धारित की गयी है। जिसमें 50 प्रतिशत अर्थात रू0 37,500/- केन्द्रांश है। भारत सरकार के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु 647 मछुआ आवासों के निर्माण के लिए रू0 75,000/- प्रति आवास की दर से रू0 242;635 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- प्रदेश में संचालित लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत गरीबों के लिए आवासों का निर्माण कराया जाता है। लोहिया आवासों की इकाई लागत मछुआ आवासों की इकाई लागत से काफी अधिक है। प्रदेश में मछुआ आवास हेतु पात्र व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। फलस्वरूप मछुआ आवास के निर्माण के लिए प्राप्त अल्प अनुदान से वे रहने योग्य आवास निर्मित् नहीं करा पा रहें है। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या - 1107/सत्रह-म- 2014 दिनांक 27 जून 2014 द्वारा मछुआ आवासों की निर्माण लागत लोहिया आवासों के समान रू0 1;85 लाख किये जाने के आदेश निर्गत किये गये जिसमें से रू0 1;60 लाख शासकीय अंश तथा रू0 25,000/- लाभार्थी अंश था।

3- ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-26/38-4-14-05 (बजट)/2012 दिनांक 19 जून 2014 द्वारा लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत निर्मित् होने वाले लोहिया आवासों का आच्छादन क्षेत्रफल 28;30 वर्ग मीटर अर्थात 304 वर्ग फीट करते हुए निर्माण लागत एवं शासकीय अनुदान की धनराशि रू0 2;75 लाख् , जिसमें सोलर सिस्टम, लाइट व फैन आदि हेतु रू030,000/-सम्मिलित है, निर्धारित किया गया। उक्त के दृष्टिगत लोहिया ग्रामीण योजनान्तर्गत निर्मित आवास के लिए शासकीय अनुदान में किये गये उपरोक्त संशोधन के आलोक में मछुआ आवास योजना की इकाई लागत भी संशोधित किये जाने का औचित्य पाया गया ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बंध में शासनादेश संख्या -1107/सत्रह-म-2014 दिनांक 27 जून 2014 का संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले आवासों के क्षेत्रफल, अन्य विशिष्टियों तथा निर्माण लागत में समय-समय पर होने वाले पुनरीक्षण मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवासों पर स्वत: यथावत लागू होगें । मछुआ आवास के लिए दी जाने वाली शासकीय सहायता में से केन्द्रांश की धनराशि घटाकर शेष धनराशि लाभार्थियों को राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। कृपया तदनुसार मछुआ आवास के निर्माण के सम्बंध में सभी सम्बंधित को अवगत कराने तथा उपरोक्त निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव,

संख्या- 1/2015/02(1)/सत्रह-म-2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन ।
2- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3- स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(क्षेत्रपाल)
उप सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in